

राजकोषीय संघवाद: खनिजों पर कर लगाने का अधिकार

द हिन्दू

पेपर- II (भारतीय राजव्यवस्था)

ऐसा कम ही होता है कि न्यायिक विमर्श में राजकोषीय संघवाद को प्रमुख स्थान मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के जबरदस्त बहुमत से निर्णय दिया है कि राज्य खनिज अधिकारों और खनिज-गर्भा भूमि पर कर लगा सकते हैं। यह वाकई ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि यह राज्यों के विधायी अधिकार-क्षेत्र को संसद की दखलअंदाजी से बचाता है। दशकों से, यह माना जाता था कि केंद्रीय कानून, खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957, की प्रधानता के कारण राज्य अपनी जमीन से निकाले गये खनिज संसाधनों पर कोई कर लगाने की शक्ति से रहित हैं। हालांकि राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या 50 के जरिए दिया गया है, लेकिन इसे "संसद द्वारा खनिज विकास संबंधी कानून के मार्फत लगायी गयी सीमाओं के अधीन" बना दिया गया। केंद्र सरकार की दलील थी कि 1957 के उसके कानून की मौजूदगी मात्र से खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति सीमित हो जाती है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड ने पीठ के लिए अपना फैसला लिखते हुए, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को जांचा और इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें ऐसी कोई सीमा मौजूद नहीं है। वर्ष 1957 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित रॉयल्टी को कतई कर नहीं माना गया। केंद्र उम्मीद कर रहा था कि एक बार रॉयल्टी को बतौर कर स्वीकार कर लिये जाने पर, उसका इस मामले में एकाधिकार होगा और इस तरह राज्यों के लिए खनिज अधिकारों पर कर लगाने की गुंजाइश खत्म हो जायेगी। हालांकि, अदालत ने रॉयल्टी को खनिज अधिकारों के उपभोग के लिए संविदात्मक भुगतान (कांट्रैक्चुअल कंसीडरेशन) के बतौर देखना पसंद किया। उसने यह भी फैसला दिया कि राज्य प्रविष्टि संख्या 49 (भूमि पर कर लगाने के सामान्य अधिकार) के तहत खनिज-गर्भा भूमि पर कर लगा सकते हैं।

राजकोषीय संघवाद और स्वायत्तता के पैरोकार इस तथ्य का खास तौर पर स्वागत करेंगे कि यह फैसला राज्यों के लिए नये कराधान का एक अहम रास्ता खोलता है। वे इस अदालती टिप्पणी का भी स्वागत करेंगे कि राज्यों की कराधान शक्तियों में किसी तरह की कमी से लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं को पहुंचाने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने, अपनी असहमति में, यह तर्क दिया है कि अगर अदालत ने केंद्रीय कानून को राज्यों की कराधान शक्तियों पर सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी तो इसके अवांछित नतीजे होंगे, क्योंकि राज्य अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में उतरेंगे, जिसके नतीजतन खनिजों की लागत में अनियमित और बेतरतीब उछाल आयेगा; और खनिजों के खरीदारों को बहुत ज्यादा भुगतान करना होगा, जिससे औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय बाजार का इस्तेमाल मूल्यों में अंतर से पैसे बनाने के लिए किया जा सकता है। इन संभावित प्रभावों को देखते हुए, यह मुमकिन है कि राज्यों की कराधान शक्तियों पर स्पष्ट सीमा लागू करने या उन्हें खनिज अधिकारों पर कर लगाने से पूरी तरह रोकने के लिए केंद्र कानून में संशोधन की कोशिश करे। हालांकि, ऐसे किसी कदम से खनिज गतिविधियां कर दायरे से पूरी तरह बाहर हो सकती हैं, क्योंकि जजों के बहुमत ने यह भी माना है कि संसद के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक उपबंध

संवैधानिक ढाँचा (भाग XII)

- भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच करों, गैर-कर राजस्व, उधार लेने की शक्तियों एवं अनुदान-सहायता के वितरण को नियंत्रित करने वाले व्यापक उपबंधों का वर्णन किया गया है।
- अनुच्छेद 268 से 293 विशेष रूप से वित्तीय संबंधों को संबोधित करते हैं, जहाँ राजकोषीय लेनदेन और आवंटन के तंत्र को रेखांकित किया गया है।

अनुच्छेद 269A (वस्तु एवं सेवा कर - GST)

- GST को संविधान (101वें संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा पेश किया गया था।
- अनुच्छेद 269A में कहा गया है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत सरकार द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में, जो संसद द्वारा, विधि द्वारा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अनुशांसा पर उपबंधित की जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा।

अनुच्छेद 275 (उत्तर हस्तांतरण राजस्व घाटा अनुदान)

- अनुच्छेद 275 के तहत, केंद्र सरकार विशिष्ट उद्देश्यों या योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को धनराशि हस्तांतरित करने के लिये विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करती है, तथा जहाँ आवश्यक हो, वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है।

अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग)

- संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशांसा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वित्त आयोग कर हस्तांतरण के अलावा राज्य के वित्त को बढ़ाने, राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और समग्र राज. कोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी सलाह देता है।

भारत में राजकोषीय संघवाद की चुनौतियाँ

- 14वें और 15वें वित्त आयोगों की सिफारिशों के बावजूद, जहाँ राज्यों के लिये शुद्ध कर राजस्व के 42% और 41% का सुझाव दिया गया था, सकल कर राजस्व में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 में घटकर 35% रह गई तथा वर्ष 2023-24 तक और घटते हुए 30% (बजट अनुमानों के अनुसार) हो गई।
- बजट अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिये सकल कर राजस्व (GTR) वर्ष 2023-24 की तुलना में 11.7% बढ़कर 38.40 लाख करोड़ रुपए (GDP का 11.8%) होने का अनुमान है। इस प्रकार, GTR में वृद्धि के साथ राज्यों की हिस्सेदारी उनकी राजकोषीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न होनी चाहिये।
- राज्यों द्वारा राजस्व स्रोतों पर स्वतंत्र रूप से कर दरें निर्धारित कर सकने की क्षमता में गिरावट आई है, जो विशेष रूप से अंतर-राज्य व्यापार के लिये मूल्य-वर्द्धित कर (VAT) के अंगीकरण के बाद स्पष्ट हो गई है।
- GST लागू होने के साथ ही इस बदलाव ने राज्यों की स्थानीय आर्थिक स्थितियों के अनुसार कर नीतियों को अनुरूप बना सकने की क्षमता को कम कर दिया है। इसके अलावा, GST क्षतिपूर्ति बकाया के समय पर वितरण को लेकर भी राज्यों ने विभिन्न अवसरों पर आपत्ति जताई है।
- राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता वर्ष 2015-16 में 1.95 लाख करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 1.65 लाख करोड़ रुपए रह गई।
- इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में सांविधिक वित्तीय हस्तांतरण का संयुक्त अनुपात 48.2% से घटकर 35.32% रह गया।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: केंद्र-राज्य के वित्त से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. अनुच्छेद 269। भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) उदगृहीत और संगृहीत किए जाने से संबंधित है।
2. अनुच्छेद 275 के तहत, केंद्र सरकार विशिष्ट उद्देश्यों या योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को धनराशि हस्तांतरित करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the constitutional provisions related to Centre-State finances:

1. Article 269A deals with the levy and collection of Goods and Services Tax (GST) by the Government of India.
2. Under Article 275, the Central Government transfers funds to the State Governments for specific purposes or schemes.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: “हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के खनिज अधिकारों पर कर लगाने संबंधी निर्णय ने राजकोषीय संघवाद को एक नई दिशा दे दी है।” इस कथन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान निर्णय के निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में राजकोषीय संघवाद को संवैधानिक प्रावधानों के साथ परिभाषित कीजिए।
- दूसरे भाग में सर्वोच्च न्यायालय के खनिज अधिकारों पर कर लगाने संबंधी निर्णय और इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।